

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग**  
**महानदी भवन मंत्रालय,, नया रायपुर**

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 10-01-2013

क्रमांक एफ 10-1/2013/16:- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों विनियमन) नियम, 2008 के नियम 251 अनुसार समिति का पुर्नगठन आदेश क्रमांक एफ 10-1/2006/16, दिनांक 13.02.2012 को किया गया था, जिसके बिन्दु क्रमांक (चार) के बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

बिन्दु क्रमांक (चार) - शासकीय विभागों के प्रतिनिधि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग - पदेन सदस्य
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग - पदेन सदस्य

उपरोक्त आदेश दिनांक 13.02.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
रायपुर दिनांक 10-01-2013

पृष्ठांकन क्र. एफ 10-1/2013/16  
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम/वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम/वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.....(छ.ग.)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वस्थ्य एवं सुरक्षा.....(छ.ग.)
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभा